

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 183 / 2012
संस्थान दिनांक 09.05.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

दशरथ पिता मुंश्या जमरे, आयु 70 वर्ष
निवासी-ग्राम रूपखेड़ा, तहसील ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्त

//निर्णय //

(आज दिनांक 29.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 53 / 2012 अंतर्गत 294, 323, 325, 506 भा.द.सं. में दिनांक 09.05.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 02.04.2012 को समय शाम लगभग 6:30 बजे, ग्राम रूपखेड़ा झबरसिंग की दुकान के सामने रोड़ पर, आहत रूपसिंग को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, आहत रूपसिंग को स्वैच्छयापूर्वक मारकर उसे गंभीर उपहति कारित करने तथा आहत रूपसिंग को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 294, 325, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले कमल पिता सखाराम चौहान ने दिनांक 25.03.2015 को अभियुक्त से समझौता का आवेदन न्यायालय में पेश किया लेकिन न्यायालय द्वारा उक्त समझौता इस आधार पर निरस्त किया गया कि वह प्रकरण में आहत/पीड़ित नहीं है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम कमल चौहान ग्राम रूपखेड़ा में रहता है। घटना दिनांक 02.04.2012 को फरियादी के गाँव का पंचायत मंत्री रूपसिंह पिता जामसिंह आया था। फरियादी व मंत्री रूपसिंह गाँव के नहारसिंग, हुकुम पटेल व झबरसिंह की साईकिल की दुकान के सामने बैठे थे, वहाँ पर गाँव का अभियुक्त आया और मंत्री रूपसिंह को कहने लगा कि स्कूल के पास खरंजे की गिट्टी पड़ी, उसे कुछ व्यक्ति ले गये हैं। वह भी ले जाये, तब मंत्री रूपसिंह ने कहा कि काम हो जाने दो उसके बाद ले जाना, फिर रूपसिंह एवं दशरथ के मध्य विवाद हुआ तथा अभियुक्त दशरथ फरियादी रूपसिंह को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगा और दशरथ लकड़ी लेकर आया और रूपसिंह को मुँह व नाक पर मार दी जिससे रक्त निकलने लगा। अभियुक्त दशरथ ने फरियादी रूपसिंह को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना में बीच-बचाव फरियादी कमल, नाहरसिंह, हुकुम पटेल, पूनम आदि ने किया। पुलिस ने फरियादी कमल चौहान द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 53/2012 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी नहारसिंग की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्त दशरथ के पेश करने पर साक्षियों के समक्ष एक लकड़ी जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व अनुसंधान के दौरान फरियादी कमल, साक्षीगण रूपसिंह, नहारसिंग, झबरसिंग, हुकुम पटेल व पूनम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 325, 506 भाग-2 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 325, 506 भाग-2 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.04.2012 को समय शाम लगभग 6:30 बजे, ग्राम रूपखेड़ा झबरसिंग की दुकान के सामने रोड़ पर, आहत रूपसिंह को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत रूपसिंग को स्वैच्छयापूर्वक मारकर उसे घोर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत रूपसिंग को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हों, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी कमल (अ.सा.1), आहत रूपसिंग (अ.सा.2), नहारसिंग (अ.सा.3), पूनम (अ.सा.4), झबरसिंग (अ.सा.5), सुखलाल (अ.सा.6), नेहरू (अ.सा.7), डॉ. रणजीत सिंह मुजाल्दे (अ.सा.8), डॉ. द्वारकादास महाजन (अ.सा.9), हुकुमसिंग (अ.सा.10) एवं मुकेश (अ.सा.11) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रूपसिंग अ.सा.2 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है तथा कमल को भी जानता है। घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व शाम 6-6:30 बजे की है, वह कमल, नहारसिंग, हुकुमसिंग झबरसिंग की दुकान के सामने खड़े थे, वहाँ अभियुक्त आया था। गाँव में शासकीय कार्य के लिए गिट्टी बुलवाई थीं, अभियुक्त ने उसे कहा था कि गिट्टी को लोग ले जा रहे थे, तब अभियुक्त ने भी गिट्टी ले जाने के लिए कहा था, उसने अभियुक्त को कार्य पूर्ण होने के बाद ले जाने के लिए कहा था, इस पर अभियुक्त ने उसे लकड़ी मारी थी जो उसके मुँह, नाक व आँख पर लगी थी, जिससे उसे अस्थि भंग हुआ था, उसे गाँव के व्यक्ति ठीकरी अस्पताल लेकर गये थे। कमल ने पुलिस को घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह बी.ए. तक पढ़ा है। घटना दिनांक 02.04.2012 सोमवार के दिन की है। वह ग्राम रूपखेड़ा में सचिव के पद पर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ग्राम रूपखेड़ा में स्कूल के पास गिट्टी निर्माण कार्य के लिए रखी थी और अभियुक्त ने उससे गिट्टी के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि गिट्टी का उपयोग वह अपने घर के शौचालय व स्नानगृह के लिए कर रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि गाँव के लोगों भी उसके विरुद्ध जनसुनवाई में शिकायत की थी और जनपद पंचायत के अधिकारी ने गिट्टी का उपयोग शासकीय कार्य में करने के लिए निर्देश दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय वह मदिरापान किये हुए था

अथवा अभियुक्त ने उसके साथ मारीपट नहीं की थीं। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त का लट्ठ सिर पर पड़ते ही वह गिरकर बेहोश हो गया था और बड़वानी अस्पताल में दिन के 11-12 बजे होश आया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने होश में आने के बाद भी अभियुक्त के विरुद्ध थाने के रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने स्पष्ट किया गाँव वालों ने रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय कमल, नहारसिंह, शिवराम हुकुम आदि उपस्थित थे, लेकिन साक्षी ने इस इस सुझाव से इंकार किया कि झुमा-झटकी में वह गिर गया था और उसे चोट आई थी।

8. नहारसिंह अ.सा. 3 झबरसिंह अ.सा. 5 ने भी अभियुक्त द्वारा गिट्टी की बात को लेकर फरियादी रूपसिंह के साथ विवाद करने तथा अभियुक्त द्वारा रूपसिंह को लकड़ी से मारने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त द्वारा लकड़ी मारने पर मुँह, नाक अस्थि भंग हो गया था। नहारसिंह अ.सा. 3 का कथन है कि वह उसे अस्पताल लेकर गया था। नहारसिंह अ.सा. 3 का यह भी कथन है कि पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था, नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शनी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहारसिंह अ.सा. 3 ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त को फरियादी को लकड़ी मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य विवाद छुड़ा दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय रूपसिंह मदिरापान किये हुए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के दिन कमल विद्यालय के निर्माण की मजदूरी करने गया था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि रूपसिंह के विरुद्ध जनपद पंचायत में शिकायत की थी और जपद पंचायत के अधिकारियों ने रूपसिंह को शासकीय गिट्टी का उपयोग निजी कार्य में करने का नहीं कहा था। झबरसिंह अ.सा.5 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके सामने फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य कोई मारीपट नहीं हुई थी। उसने अभियुक्त को घटनास्थल पर नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने अभियुक्त को सड़क से निकलते हुए देखा था।

9. कमल अ.सा. 1 का कथन है कि 1 वर्ष पूर्व सोमवार के दिन ग्राम रूपखेड़ा में स्कूल के सामने अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य गिट्टी को लेकर विवाद हुआ था, तब उसने एवं अन्य व्यक्तियों ने उक्त विवाद को छुड़ा दिया था फिर वह अपने घर जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने पलट कर देखा था कि रूपसिंह के मुँह पर चोट लगी है, जिससे रक्त बह रहा है फिर वह रूपसिंह को नहारसिंह एवं गाँव के अन्य व्यक्ति अस्पताल लेकर गये थे और थाना ठीकरी में प्रदर्शनी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त दशरथ लकड़ी लेकर आया था लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने नहीं देखा कि रूपसिंह को लकड़ी अभियुक्त ने मारी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब वह पलटा तब रूपसिंह के मुँह एवं नाक पर चोट

लगी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त एवं दशरथ को पास-पास खड़े देखा था। उसने एवं नहारसिंह ने बीच-बचाव किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने थाने पर मौखिक रिपोर्ट की थी और पुलिस के कहने पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि रूपसिंह को चोंट लगी थी, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी अस्पताल में भर्ती किया था, उसे गाँव वालों ने रिपोर्ट करने का कहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को फरियादी को मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य अमुक-झमुक होते हुए देखा था, इसलिए वे दोनों गिर गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि गाँव का सरपंच अपने निजी निर्माण के लिए गिट्टी का उपयोग कर रहा था। इस संबंध में अभियुक्त फरियादी को बोलने गया था।

10. पूनम अ.सा. 4, सुखलाल अ.सा. 6, नेहरू अ.सा. 7, हुकुमसिंह अ.सा.10 उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त साक्षीगण जान-बुझकर अभियुक्त को बचाने के लिए उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहे हैं।

11. मुकेश कुमरावत अ.सा. 11 ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 53/2012 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर नहारसिंह की निशांदाही से प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाने तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त से एक लकड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर झबरसिंह की दुकान है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त से कोई वस्तु जप्त नहीं की थी। अतः साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये थे।

12. डॉ. रणजीतसिंह मुजाल्दा अ.सा. 8 ने दिनांक 02.04.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में थाना ठीकरी के आरक्षक राजेन्द्र द्वारा लाये जाने पर आहत रूपसिंह पिता जामसिंह, आयु 36 वर्ष, निवासी ग्राम रहड़कोट का मेडिकल परीक्षण करने पर उसके चेहरे के दाहिनी ओर कटा-फटा घाव जिससे रक्त निकाल रहा था, नाक से रक्त बहना, तीन चोंटे होना सख्त और बोथरी वस्तु से पाई थी, जो परीक्षण के 2 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने आहत को आगामी उपचार हेतु एवं एक्सरे परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय बड़वानी भेजा था। साक्षी ने उसकी जाँच रिपोर्ट प्रदर्शपी 6 भी प्रमाणित की है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त चोंटे धारदार एवं नुकीली वस्तु पर गिरने से आना संभव है।

13. डॉ. द्वारकादास महाजन अ.सा. 9 ने दिनांक 03.04.2012 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में आहत रूपसिंह पिता जामसिंह, निवासी ग्राम रहड़कोट की एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी 7 से 9 को परीक्षण हेतु लाने पर आहत के ऊपरी जबड़े में अस्थि भंग होना पाया था तथा उसकी एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत को कुल कितनी चोट आई थी, वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत को आई चोट गिरने-पढ़ने से आ सकती है, लेकिन आहत रूपसिंह अ.सा. 2 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसे गिरने से चोट आई थी। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों साक्षियों की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, यहाँ तक कि फरियादी कमल अ.सा. 1 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने गाँव वालों के कहने से रिपोर्ट लिखाई थी और पुलिस के कहने से प्रदर्शपी 1 पर हस्ताक्षर कर दिये थे। प्रकरण के शेष साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा अविश्वसनीय हो जाती है। उनका यह भी तर्क है कि कमल अ.सा.1 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है।

15. यह सही है कि अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है। रूपसिंह अ.सा.2 ने अभियुक्त द्वारा उसे गिट्ठी की बात को लेकर लकड़ी से मुँह, नाक एवं सिर पर मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी के कथन का कोई खण्डन नहीं हुआ है। नहारसिंह अ.सा. 3 एवं झबरसिंह अ.सा. 5 ने भी अभियुक्त द्वारा फरियादी को लकड़ी मारने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं और उक्त साक्षियों के कथनों में भी प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कुछ नहीं आया, जिससे उनके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य का खण्डन हो। कमल अ.सा. 1 ने भी अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य गिट्ठी को लेकर विवाद होने और रूपसिंह के मुँह पर चोट लगने और अभियुक्त के हाथ में लकड़ी होने के संबंध में स्वीकारोक्ति की है। उक्त सभी साक्षियों ने भी स्पष्ट रूप से इंकार किया कि रूपसिंह को गिरने से चोट आई थी। ऐसी स्थिति में मामूली विरोधाभास एवं विसंगति के आधार पर अभियोजन के समस्त मामले को शंकास्पद या अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और अभियुक्त को उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16. यह सही है कि कमल अ.सा. 1 ने अभियुक्त से न्यायालय में राजनीनामा पेश किया है, लेकिन उक्त कमल प्रकरण में अभियुक्त से राजीनामा करने के लिए समक्ष नहीं है। न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामे का आवेदन एवं राजीनामा निरस्त कर दिया गया है। इस घटना की रिपोर्ट कमल द्वारा तत्काल थाने में कराई गई और कमल अ.सा. 1 ने अपने न्यायालय कथन के दौरान उक्त रिपोर्ट लिखाना और उस पर अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किये हैं। आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ. रणजीतसिंह मुजाल्दे ने रूपसिंह को चेहरे पर दो चोंटे आना पाई थी जो किसी सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आई थी तथा रूपसिंह को एक्सरे परीक्षण की सलाह दी थी। डॉ. द्वारकादास ने रूपसिंह का एक्सरे परीक्षण करने पर ऊपरी जबड़े पर अस्थिभंग की चोट होना पाई थी। मुकेश कुमरावत अ.सा. 11 ने अभियुक्त से एक लकड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त करने और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त समस्त अभियोजन साक्ष्य का बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य शासकीय निर्माण के लिए लाई गई गिट्टी के संबंध में विवाद होना अभियोजन साक्षियों ने कहा है, जिससे कि अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने का हेतूक भी प्रमाणित होता है।

17. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गिट्टी को लेकर विवाद किया और किसी कारणवश उसने रूपसिंह को सख्त अथवा बोथरी वस्तु लकड़ी से मारकर स्वैच्छयापूर्वक घोर उपहति कारित की जो कि भा.द.स. की धारा 325 का अपराध है। अतः न्यायालय अभियुक्त दशरथ पिता मुंश्या जमरे, निवासी रहड़कोट को भा.द.स. की धारा 325 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में

18. उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक के संबंध में रूपसिंह अ.सा. 2 का केवल इतना कथन है कि अभियुक्त ने उसे माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी थी, जो सुनने बुरी लगी थी तथा अभियुक्त ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। फरियादी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त ने उसे लोक स्थान पर गॉलिया दी गई थी अथवा धमकी सुनकर उसे संत्रास कारित हुआ।

19. अन्य अभियोजन साक्षियों ने उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग-2 का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उसे उक्त धाराओं के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20. चूँकि अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 325 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को परीवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:—

21. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया है। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त निर्धन, ग्रामीण, अशिक्षित तथा लगभग 65 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है। उसने विचारण का सामना शीघ्रतापूर्वक किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा केवल अर्थदण्ड से अधिरोपित किया जाये।

22. यह सही है कि अभियुक्त लगभग 65—70 वर्ष का वृद्ध होकर निर्धन, ग्रामीण एवं अशिक्षित व्यक्ति है तथा प्रकरण के विचारण में नियमित रूप से उपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रकरण का निराकरण शीघ्रतापूर्वक हुआ है, लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह मामुली विवाद को लेकर फरियादी को बिना किसी कारण मारपीट की और उसे अस्थिभंग की चोट पहुँचाई, जिसे देखते हुए अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त दशरथ पिता मंश्या, निवासी ग्राम रूपखेड़ा को भा.द.स. की धारा 325 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें रुपये 300/— अपील अवधि पश्चात् फरियादी रूपसिंह को द.प्र.स. की धारा 357 (1) के प्रावधान अनुसार दिये जाये।

24. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।
25. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क दी जाये।
26. प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 183/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध दशरथ) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- दशरथ पिता मुंश्या जमरे, आयु 70 वर्ष
निवासी-ग्राम रूपखेड़ा, तहसील ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 08.04.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- निरंक

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में निरंक दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड, जिला-बड़वानी, म0प्र0

